

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत

उपखण्ड अधिकारी मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

बगरी राम

बनाम

शम्भू भास्कर

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर..... 360/25

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

08/9/25

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती बगरी राम

पिता श्री नारामण भास्कर

निवासी- ओझ-5 तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम

..... ओझ-5 स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर.....

139
0.40

140/1685
0.36

कुल कीता 02 कुल रकबा 0.76 है0 की पत्थरगडी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम ओझ-5 स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 139, 140/1685
0.40, 0.36

कुल कीता 02 रकबा 0.76 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगडी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगडी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 10000 रूपये अक्षरे १००००० प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।

(बिनी देवसू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)